

न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 67/2024

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

1. झूथा पुत्र श्री बीजा, जाति-अहीर, निवासी-चकबासडी, तहसील-कालवाड।
(मृतक)
 - 1/1 मालीराम पुत्र स्व0 श्री झूथा, जाति-अहीर, निवासी-पोखरों वाली ढाणी,
ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड। (मृतक)
 - 1/1/1 शीशपाल पुत्र स्व0 श्री मालीराम, जाति-अहीर, निवासी-पोखरों
वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।
 - 1/1/2 कैलाश पुत्र स्व0 श्री मालीराम, जाति-अहीर, निवासी-पोखरों
वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।
 - 1/1/3 प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री मालीराम, जाति-अहीर, निवासी-पोखरों
वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।
 - 1/1/4 शैतान पुत्र स्व0 श्री मालीराम, जाति-अहीर, निवासी-पोखरों
वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।
 - 1/1/5 चन्द्रकला पत्नी श्री कानाराम पुत्री स्व0 श्री मालीराम, जाति-
अहीर, निवासी-नंदावाली वाली अहीर की ढाणी, ग्राम-सिरसली,
तहसील-आमेर, (मृतक)
 - 1/1/5/1 पूजा पुत्री श्री कानाराम, जाति-अहीर, निवासी-
अहीर, निवासी-नंदावाली वाली अहीर की ढाणी,
ग्राम-सिरसली, तहसील-आमेर,।
 - 1/1/5/2 अंजू पुत्री श्री कानाराम, जाति-अहीर, निवासी-
अहीर, निवासी-नंदावाली वाली अहीर की ढाणी,
ग्राम-सिरसली, तहसील-आमेर,।
 - 1/1/5/3 टीना पुत्री श्री कानाराम, जाति-अहीर, निवासी-
अहीर, निवासी-नंदावाली वाली अहीर की ढाणी,
ग्राम-सिरसली, तहसील-आमेर।
 - 1/2 रूपनारायण पुत्र स्व0 श्री झूथा, जाति-अहीर, निवासी-पोखरों वाली ढाणी,
ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड। (मृतक)
 - 1/2/1 चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 श्री रूपनारायण, जाति-अहीर, निवासी-
पोखरों वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।
 - 1/2/2 बुद्धिप्रकाश पुत्र स्व0 श्री रूपनारायण, जाति-अहीर, निवासी-
पोखरों वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।
 - 1/2/3 राजकुमार पुत्र स्व0 श्री रूपनारायण, जाति-अहीर, निवासी-
पोखरों वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।
 - 1/2/4 बीना पत्नी श्री रामस्वरूप पुत्री स्व0 श्री रूपनारायण, जाति-
अहीर, निवासी-टाटला वाली ढाणी, ग्राम-बेगस, बगरू, (मृतक)
 - 1/2/4/1 दीपक पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति-अहीर, निवासी-



TH

टाटला वाली ढाणी, ग्राम-बेगस, बगरू, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।

1/2/4/2 संजय पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति-अहीर, निवासी-टाटला वाली ढाणी, ग्राम-बेगस, बगरू, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।

1/3 चुन्नीलाल पुत्र स्व० श्री झूथा, जाति-अहीर, निवासी-पोखरों वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।

1/4 गणपत पुत्र स्व० श्री झूथा, जाति-अहीर, निवासी-पोखरों वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।

1/5 धन्नाराम पुत्र स्व० श्री झूथा, जाति-अहीर, निवासी-पोखरों वाली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।

1/6 सोनी पत्नी श्री रघुनाथ पुत्री स्व० श्री झूथा, जाति-अहीर, निवासी-कासनी वाली ढाणी, ग्राम-हिंगोनिया, तहसील-किशनगढ रेनवाल। (मृतक)

1/6/1 राघेश्याम पुत्र श्री रघुनाथ, जाति-अहीर, निवासी-कासनी वाली ढाणी, ग्राम-हिंगोनिया, तहसील-किशनगढ रेनवाल।

1/7 गेंदी देवी पत्नी श्री रामकुंवार पुत्री स्व० श्री झूथा, जाति-अहीर, निवासी-कासनी वाली ढाणी, ग्राम-हिंगोनिया, तहसील-किशनगढ रेनवाल।

2. बालू पुत्र श्री नौला, जाति-अहीर, निवासी-चकबासडी, तह०-कालवाड। (मृतक)

2/1 लाडादेवी पत्नी स्व० श्री बालू, जाति-अहीर, निवासी-खात्याली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।

2/2 सूजाराम पुत्र स्व० श्री बालू, जाति-अहीर, निवासी-खात्याली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।

2/3 भैरुराम पुत्र स्व० श्री बालू, जाति-अहीर, निवासी-खात्याली ढाणी, ग्राम-चकबासडी, तहसील-कालवाड।

2/4 रूडी पत्नी स्व० श्री हनुमान पुत्री स्व० श्री बालू, जाति-अहीर, निवासी-लोरवाडा, तहसील-चौमूं, जिला-जयपुर।

2/5 ग्यारसी पत्नी श्री मोहनलाल पुत्री स्व० श्री बालू, जाति-अहीर, निवासी-लोरवाडा, तहसील-चौमूं, जिला-जयपुर।

2/6 गणेशी पत्नी श्री भूराराम पुत्री स्व० श्री बालू, जाति-अहीर, निवासी-गुडलिया, धानक्या के पास, तहसील-कालवाड।

2/7 नारायणी पत्नी स्व० श्री बालाजी पुत्री स्व० श्री बालू, जाति-अहीर, निवासी-गुढा बेरसल, तहसील-फुलेरा मु० सांभरलेक, जिला-कालवाड।

3. घीसा पुत्र श्री श्यौला, जाति-अहीर, निवासी-चकबासडी। (मृतक)

3/1 मन्नीदेवी पत्नी स्व० श्री घीसा, जाति-अहीर, निवासी-सेजावाली ढाणी, चकबासडी, तहसील-कालवाड, जिला-जयपुर।

3/2 कालूराम पुत्र स्व० श्री घीसा, जाति-अहीर, निवासी-सेजावाली ढाणी, चकबासडी, तहसील-कालवाड, जिला-जयपुर। (मृतक)

3/2/1 भगवती देवी पत्नी स्व० श्री कालूराम, जाति-अहीर, निवासी-सेजावाली ढाणी, चकबासडी, तहसील-कालवाड, जिला-जयपुर।

3/2/2 नरेन्द्र पुत्र स्व० श्री कालूराम, जाति-अहीर, निवासी-सेजावाली ढाणी, चकबासडी, तहसील-कालवाड, जिला-जयपुर।

3/2/3 नवरतन पुत्र स्व० श्री कालूराम, जाति-अहीर, निवासी-सेजावाली



HW

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 67/2024, सरकार बनाम झूथा वगै०

ढाणी, चकबासडी, तहसील-कालवाड, जिला-जयपुर।

- 3/2/4 सावित्री पुत्री स्व० श्री कालूराम, जाति-अहीर, निवासी-काचरिया वाली ढाणी, टिगरिया, इटावा भोपजी, तहसील-चौमूं।
- 3/3 अमरुती पुत्री स्व० श्री घीसा, जाति-अहीर, निवासी-सेजावाली ढाणी, चकबासडी, तहसील-कालवाड, जिला-जयपुर।
- 3/4 मदनलाल पुत्र स्व० श्री घीसा, जाति-अहीर, निवासी-सेजावाली ढाणी, चकबासडी, तहसील-कालवाड, जिला-जयपुर।
- 3/5 हंसराज पुत्र स्व० श्री घीसा, जाति-अहीर, निवासी-सेजावाली ढाणी, चकबासडी, तहसील-कालवाड।
- 3/6 पूरणमल पुत्र स्व० श्री घीसा, जाति-अहीर, निवासी-सेजावाली ढाणी, चकसरनाडूंगर, तहसील-कालवाड।
- 3/7 मोहनी पत्नी श्री बोदूराम पुत्री स्व० श्री घीसा, जाति-अहीर, निवासी-बधाला की ढाणी, ग्राम उदयपुरिया, चिमनपुरा मोड, ढाणी बधाल, तहसील-चौमूं।
- 3/7 नन्ही पत्नी श्री सीताराम पुत्री स्व० श्री घीसा, जाति-अहीर, निवासी-बधाला की ढाणी, ग्राम उदयपुरिया, चिमनपुरा मोड, ढाणी बधाल, तहसील-चौमूं।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2026

तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-चक सरना डूंगर की आराजी खसरा नं० 48 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि०मु० नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण, राजवैध साकिन जयपुर मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 में दर्ज थी जो सम्वत् 2024-2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न० 5 में कृषक के रूप में आराजी खसरा नं० 48 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा नौला व श्यौला पि० हुक्मा कौम अहीर दर्ज हो गया। तत्पश्चात नामा. सं. 6 विरासत के द्वारा नौला के स्थान पर बालू रामचन्द्र पि० नौला हि० 1/2 व श्यौला के स्थान पर घीसा पुत्र श्यौला हि० 1/2 दर्ज हुआ। नामा सं० 29 (विक्रय) रामचन्द्र हि० 1/4 के स्थान पर झूथा पुत्र बिज्या जाति अहीर के नाम हुआ। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 में अप्रार्थीगण झूथा पुत्र बिज्या हि० 1/4 बालू पुत्र नौला हि० 1/4 घीसा पुत्र श्यौला हि० 1/2 जाति अहीर दर्ज है, जो पुनः ठिकाना श्री ठाकुरजी, श्री बिहारी जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।



Handwritten signature or initials.

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् परोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् परोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-2034 के कॉलम सं० 03 नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि०मु० नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण, राजवैध साकिन जयपुर मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 में दर्ज थी जो सम्वत् 2024-2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न० 5 में कृषक के रूप में नौला व श्यौला पि० हुक्मा कौम अहीर दर्ज है। तत्पश्चात नामा. सं. 6 विरासत के द्वारा नौला के स्थान पर बालू रामचन्द्र पि० नौला हि० 1/2 व श्यौला के स्थान पर घीसा पुत्र श्यौला हि० 1/2 दर्ज हुआ। नामा० सं० 29 (विक्रय) रामचन्द्र हि० 1/4 के स्थान पर झूथा पुत्र बिज्या जाति अहीर के नाम हुआ। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 में अप्रार्थीयान झूथा पुत्र बिज्या हि० 1/4 बालू पुत्र नौला हि० 1/4 घीसा पुत्र श्यौला हि० 1/2 जाति अहीर दर्ज है, जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् परोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015-2034 में ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज

TR

हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पत्रावली पर ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह जाहिर करते हो कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के लागू होने अर्थात् सम्वत् 2009 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने अर्थात् सम्वत् 2012 के समय नौला व श्यौला पि० हुक्मा का कब्जा काश्त रहा हो इस प्रकार नियमों के विपरित ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण ग्राम चक-सरना डूंगर वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक है ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 10.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।



निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर